

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 11/18

मोनू शर्मा पुत्र रामनरेश शर्मा आयु 24 वर्ष निवासी
शिवाजी नगर भिण्ड, म.प्र.

विरुद्ध

पुलिस थाना मालनपुर

—आवेदक

—अनावेदक

09-01-2018

आवेदक/आरोपी मोनू की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

पुलिस थाना मालनपुर से इस्तगसा क्रमांक 01/17 अंतर्गत धारा 41 (1,4), 102 सीआरपीसी एवं धारा 379 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा सूची मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय श्री ए.के. गुप्ता जेएमएफसी गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.01.18 की सत्य प्रतिलिपि पेश की।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मोनू की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर ने सांठगांठ करके झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को उक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक से कोई जप्ती भी नहीं हुई है। आवेदक द्वारा नियमित जमानत हेतु आवेदन न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में पेश किया गया था जो

दिनांक 05.01.18 को निरस्त हो चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.12.17 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में होकर कृषक है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। यदि आवेदक अधिक समय तक निरोध में रहा तो आवेदक के परिवार के समक्ष भूखो मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त मोनू शर्मा सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 41 (1.4), 102 सीआरपीसी एवं धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरक्षी केंद्र मालनपुर में इस्तगासा पंजीबद्ध किया जाकर सहअभियुक्त विष्णु के द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किये गये प्रकटीकरण के आधार पर सहअभियुक्त विष्णु के द्वारा चुराई गई सम्पत्ति एक्विटवा को आवेदक/अभियुक्त मोनू शर्मा को बेचना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त मोनू द्वारा स्वयं चोरी की घटना कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन का कोई मामला नहीं है तथा आवेदक/अभियुक्त मोनू शर्मा से संबंधित उक्त अपराध अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा से दण्डनीय होकर जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.12.17 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक/अभियुक्त मोनू जिला भिण्ड का स्थाई निवासी होकर कृषक के रूप में अपने परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त मोनू शर्मा की ओर से निम्न शर्तों सहित 30,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1.प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2.अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेगा।

3.अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)